



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062022-236458
CG-DL-E-10062022-236458

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148]
No. 148]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2022/ज्येष्ठ 20, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2022/JYAISTHA 20, 1944

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
संकल्प (शुद्धि-पत्र)

नई दिल्ली, 2 जून, 2022

फा.सं. 11011/02/2021-हिंदी.—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिनांक 17 फरवरी, 2022 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग एवं लोक उद्यम विभाग की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति के गठन में राजभाषा विभाग द्वारा नामित शीर्ष के अंतर्गत क्रम सं. 18 पर श्री मेघराज सिंह - सदस्य के स्थान पर श्री विकास तिवारी - सदस्य पढ़ा जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य वेतन एवं लेखाधिकारी, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, समिति के सभी सदस्यों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प, आम जानकारी के लिए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मनीषा सिन्हा, अपर सचिव (प्रशासन)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

RESOLUTION

New Delhi, the 2nd June, 2022

F.No. 11011/02/2021.—Hindi.—In modification of The Government of India, Ministry of Finance Resolution of even number dated 17 February, 2022 in the Composition of the Joint Hindi Advisory Committee of Department of Economic Affairs, Department of Financial Services & Department of Public Enterprises under the head **Nominated by Department of Official Language** at S.No. 18 Shri Vikas Tiwari – Member may be read instead of Shri Meghraj Singh – Member.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, NITI Ayog, UPSC, Chief Pay & Accounts Officer, Comptroller and Auditor General of India, all members of the Committee and all Ministries and Department of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MANISHA SINHA, AS (Admn.)